न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 48/2022 तारीख रजूः— 30.06.2022

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. द्वारिका | पिसरान छोटे, जाति मीना
2. मन्नू | निवासी टोडूपुरा तहसील हिण्डौन
3. राजूलाल | जिला करौली राजस्थान ————————————प्रार्थीगण

बनाम

1. जगमोहन | पिसरान मूला, जाति मीना, निवासी टोडूपुरा
2. रामकैलाश | तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राजस्थान
3. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज0) ——— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 टीटेन्सी एक्ट

उपस्थित :— 1.श्री अशोक नीमनका प्रार्थीगण
2. श्री पी.एल. गोयल अप्रार्थी सं01 व 2

निर्णय

दिनांक :— 06.08.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0 टीटेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर प्रार्थना पत्र मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नं0 786 रकवा 0.57 है0, 787 रकवा 0.06 है0, 789 रकवा 0.33 है0, 840 रकवा 0.21 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 1.17 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन जिला करौली प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हैं जिसमें प्रार्थीगण के कृषि विकासार्थ कुछ पुख्ता निर्माण भी किया हुआ है। जिनको प्रार्थी चारा, फूंसा भरने, मवेशियों के रख रखाव बाबत अनाज आदि को भरने के काम में लेता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात के दक्षिण दिशा में आम रास्ता एवं प्रार्थी की खातेदारी के खेतों के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 872 रकवा 1.94 है0 स्थित ग्राम मनेमा तहसील हिण्डौन स्थित है। जिसकी पश्चिमी डोल के सहारे—सहारे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात से आम रास्ते तक आते जाते रहे हैं। उक्त रास्ते को नजरी नक्शा जो प्रार्थना पत्र का ही एक भाग है में लाल रंग की डोटेड लाईनों से महदूद कर दर्शाया गया है, उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भूमि में स्थित होने के कारण अप्रार्थीगण,प्रार्थीगण को आये दिन हैरान परेशान करते रहते हैं। रास्ते में व्यवधान पैदा करते रहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 26.06.2022 को सुबह करीब 10 बजे की बात है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से खसरा नम्बर 872 की पश्चिमी डोल के सहारे सहारे प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ख0नं0 786 तक 15 फीट चौडा रास्ता रेवन्यू सीट में नियमानुसार दर्ज कराने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया एवं खसरा नम्बर 872 में होकर आवागमन से भी प्रार्थीगण को स्पष्ट मना कर दिया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाने का भरसक प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते की नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 786, 787, 789, 840 स्थित ग्राम टोडूपुरा को काश्त की सहूलियत को दृष्टिगत रखते हुए खसरा नम्बर 872 रकबा 1.94 है0 स्थित ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन की पश्चिमी डौल के सहारे सहारे 15 फिट चौडा रास्ता आम, खसरा नम्बर 873 के खसरा नम्बर 786 की डौल तक नियमानुसार दिलवाने के आदेश प्रदान करें। साथ ही उक्त रास्ते का अमल दरामद समस्त रेवन्यू रिकार्ड एवं कागजात पटवार में दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजीयात अकेले प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है, बल्कि उक्त आराजीयात में धापा पत्नी घोटे 1/4 हिस्से की मुताबिक जमाबंदी खातेदार काश्तकार है, जो कि सायलान की मां है, जिसे सायलान के द्वारा प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही इस संबन्ध में कोई स्पष्ट अभिवचन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। इसके अतिरिक्त सायलान ने उक्त आराजीयात में पुख्ता निर्माण का अभिवचन अंकित किया है, जबकि मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त आराजीयात काश्त की भूमि है, जिसका कोई भू सम्परिवर्तन आबादी हेतु नहीं कराया है तथा कानूनन सायलान के द्वारा कृषि भूमि को बिना आबादी में रूपांतरित कराये अवैध रूप से कृषि से भूमि को अकृषि कर दिया है, जिसके लिये कानूनन धारा 251 ए का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है, इसके अतिरिक्त प्रकरण में धापा पत्नी घोटे को पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रकरण में नोन जोइन्डर ऑफ नैसेसरिज पार्टीज का नुक्श आरिज है, इसलिये प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 प्रार्थीगण की धापा की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात के दक्षिण दिशा में कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व आबादी की आराजीयात के दक्षिण में अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 872 की कृषि आराजीयात है व उसके दक्षिण में आम रास्ता है। उक्त खसरा नम्बर की कोई पश्चिमी डौल के सहारे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात/आबादी से आम रास्ते तक आतेजाते नहीं है, बल्कि खसरा नम्बर 872 की कोई पश्चिमी डौल के सहारे कोई रास्ता किसी प्रकार का नहीं है। जब कोई रास्ता किसी प्रकार का है ही नहीं तो उक्त डौल के सहारे प्रार्थीगण का आम रास्ते में आनेजाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित नजरी नक्शे में लाल रंग की लाइनों से बिल्कुल गलत तरीके से मौके के विरूद्ध उक्त खसरा नम्बर की पश्चिमी डौल के सहारे रास्ता बताया है, जबकि मौके पर ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जब अप्रार्थीगण की खातेदारी में ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को आए दिन हैरान व परेशान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 786, 787, 789 व खसरा नम्बर 840 जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, उसमें उन्होंने पक्के आवासीय मकान बना रखे हैं और उनमें रिहायश कर रखे हैं, जिसके लिये खसरा नम्बर 838 व 803 व 740 गैरमुमकिन नाले में होकर व आसपास की स्थित आबादी के सुविधाजनक आवागमन हेतु सरकारी खर्च से सायलान के खेतों में स्थित आबादी रिहायश से लगवां मुख्य सड़क नृसिंह के मंदिर तक इन्टलॉकिंग ग्रेवल सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत टोड़ूपुरा द्वारा काफी समय पूर्व से बना रखा है जो मौके पर बना हुआ है, जिसमें होकर सायलान व अन्य आमजन सुविधापूर्वक आवागमन कर रहे हैं, जो मौके पर बदस्तूर जारी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय ग्राम पंचायत टोड़ूपुरा के सरपंच द्वारा भी अपने लैटरहैड पर उक्त स्थिति को स्पष्ट किया है, जो जबाब के साथ पेश है, मगर सायलान ने उक्त स्थिति को छिपाते हुए अनक्लीन हैण्ड से प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त स्थिति की वास्तविकता हेतु प्रकरण में जरिये पटवारी हल्का मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगाया जाना वांछनीय है। जिससे कि मौके की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सके और प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण हो सके। सायलान के द्वारा सम्पूर्ण स्थिति को छिपाकर गलत तरीके से जबरन अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता कायम कराने हेतु विधि विरूद्ध तरीके से झूंठे तथ्य दर्ज कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 03 गलत है व अस्वीकार है। दिनांक 26.06.2022 को सुबह 10 बजे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त मद में वर्णित कोई वार्तालाप किसी प्रकार का नहीं हुआ तो प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 872 की पश्चिमी डौल के सहारे उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 786

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तक 15 फीट चौडा रास्ता रेवेन्यू शीट में दर्ज कराने का नियमानुसार कहने का और गैरसायलान द्वारा इनकार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब मौके पर ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं तो इस बाबत सायलान के द्वारा कहने और गैरसायलान द्वारा इन्कार करने और आवागमन की मना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, बल्कि गैरसायलान का रास्ता ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा खसरा नम्बर 838 व 803 व 740 गैरमुमकिन नाले में होकर आवागमन हेतु सरकारी खर्चे से सायलान की भूमि से लगवां इन्टरलॉकिंग ग्रेवल सड़क का निर्माण मुख्य सड़क नृसिंह के मंदिर तक किया हुआ है। जिसमें से होकर सायलान व आमजन का आवागमन बदस्तूर बना हुआ है, सायलान के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत व मौके के विपरीत तथ्यों को छिपाकर पेश किया है। ऐसी स्थिति में सायलान कानूनन कोई भी दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 04 गलत है व अस्वीकार है। मौके पर जब ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं तो सायलान द्वारा गैरसायलान को तथाकथित किसी रास्ते की नियमानुसार कीमत अदा करने का प्रश्न की पैदा नहीं होता, प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत व विधि विरूद्ध दायर किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अनक्लीन हैण्ड से तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है ।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायलान ने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि उक्त आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और उक्त भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र में नोन जोइन्डर ऑफ नैसेसरी पार्टीज का नुक्श आरिज होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायलान के पास अपनी भूमि खसरा नम्बर 786, 787, 789 व 840 में तथा उसमें बनीं सायलान की पुख्ता आवासीय रिहायश में आनेजाने हेतु हाल खसरा नम्बर 838, 803 व 740 गैरमुमकिन नाला में होकर आसपास की आबादी के सुविधाजनक आवागमन हेतु सरकारी खर्चे से सायलान की भूमि/रिहायश के लगवां मुख्य सड़क नृसिंह के मन्दिर तक इन्टरलॉकिंग ग्रेवल सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा काफी समय पूर्व कराये जाने से और उसमें होकर सायलान व आमजन के सुविधापूर्वक आवागमन से सायलान के पास पुख्ता रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थना पत्र सायलान कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 किता 2, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में कार्यालय ग्राम पंचायत टोडूपुरा रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, कार्यालय ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा पत्रांक 256 दिनांक 10.02.2024 एस0डी0एम0 हिण्डौन के नाम भेजा गया है पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 872 रकबा 1.94 है0वाके ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी जगमोहनलाल पुत्र मूला हि01/2 जाति मीना सा0 टोडूपुरा राहिन हि01/2 पूर्ण खाता इंडियन बैंक शाखा हिण्डौन, रामकैलाश पुत्र मूला जाति मीना सा0 टोडूपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 786 रकबा 0.57 है0, 787 रकबा 0.06 है0, 789 रकबा 0.33 है0, 840 रकबा 0.21 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.17 है0 वाके ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी द्वारका पुत्र घोटे हि0 1/4, धापा पत्नि घोटे हि01/4, मन्नू पुत्र घोटे हि01/4, रज्जू पुत्र घोटे हि0 1/4, सभी जाति मीना सा0 टोडूपुरा खातेदार सभी का हिस्सा राहिन ऑरियन्अल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत कार्यालय ग्राम पंचायत टोडूपुरा रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022, कार्यालय ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा पत्रांक 256 दिनांक 10.02.2024 एस0डी0एम0 हिण्डौन के नाम भेजा गया है में सरपंच ने अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारका मन्नू व राजूलाल पिता घोटे जाति मीना निवासी टोडूपुरा तहसील हिण्डौन की कृषि भूमि राजस्व ग्राम मनैमा के खसरा नम्बर 786, 787, 789, 840 खातेदार की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीयों ने पक्का आवासीय मकान बना रखा है। जिसके लिए खसरा नम्बर 838, 803 व 740 गै0मु0 नाला में होकर आस पास की आबादी के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सुविधाजनक आवागमन हेतु सरकारी खर्चे से द्वारका आदि के खेतों के लगवां मुख्य सडक नृसिंह के मन्दिर तक इन्टरलोकिंग ग्रेवल सडक का निर्माण ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा काफी समय पूर्व से बना हुआ है। जिसमें द्वारका आदि व आमजन सुविधापूर्वक आवागमन कर रहे हैं, जो मौके पर बदस्तूर जारी है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार खसरा नम्बर 740 रकबा 0.77 है0 किस्म गै0मु0 नाला, 803 रकबा 3.08 है0 किस्म गै0मु0 नाला, 838 रकबा 4.57 है0 किस्म गै0 मु0 नाला वाके ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन की खातेदारी सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एलआर/2025/1219 दिनांक 04.06.2025 से रिपोर्ट पेश कर रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का टोडूपुरा से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का टोडूपुरा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आज दिनांक 14.05.2025 को तहसीलदारहिण्डौन के आदेश कमांक एलआर/2025/494 दिनांक 25.04.2025 की पालना में ग्राम मनैमा के खसरा नम्बर 786, 787, 789, 840 उनवानी 48/2022 द्वारिका बनाम जगमोहन में मौका रिपोर्ट बनाने हेतु मौके पर पहुॅची। वर्तमान में खसरा नम्बर 786, 787, 789, 840 द्वारिका मन्नू रज्जू पि0 घोटे धापा पत्नि घोटे के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रकरण में वादी द्वारिका द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में पहुॅचने हेतु मुख्य सडक से प्रतिवादी जगमोहन वगैराह की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 872 रकबा 1.94 है0 में होकर धारा 251 (क) के तहत रास्ता की मांग की गई है। जबकि वर्तमान में खसरा नम्बर 872 में कोई भी रास्ता चालू नहीं है तथा फसल काश्त की जा रही है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि खसरा नम्बर 786, 787, 789, 840 तक पहुॅचने हेतु वर्तमान में मुख्य सडक नृसिंह मन्दिर से शुरू होकर खसरा नम्बर 740 रकबा 3.08 है0 गै0मु0 नाला तथा खसरा नम्बर 838 रकबा 4.57 है0 गै0मु0 नाला में होकर ग्रेबल सडक बनी हुई है। जिसमें होकर आस पास की आबादी के लोग आवागमन के उपयोग में लेते हैं तथा उक्त ग्रेबल सडक हेतु ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया है, जो संलग्न है। मौके पर फर्द मौका बनाया जाकर उपस्थित व्यक्तियों को पढकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षर निशानी कराई गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 786, 787, 789, 840 वाके ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन के मौके पर पहुॅचने के लिए वर्तमान में मुख्य सडक नृसिंह मन्दिर से शुरू होकर खसरा नम्बर 740 रकबा 3.08 है0 गै0मु0 नाला तथा खसरा नम्बर 838 रकबा 4.57 है0 गै0मु0 नाला में होकर ग्रेबल सडक बनी हुई है। जिसमें होकर आस पास की आबादी के लोग आवागमन के उपयोग में लेते हैं तथा उक्त ग्रेबल सडक हेतु ग्राम पंचायत टोडूपुरा द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 872 रकबा 1.94 है0 में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

होकर धारा 251 (क) के तहत रास्ता की मांग की गई है। जबकि वर्तमान में खसरा नम्बर 872 में कोई भी रास्ता चालू नहीं है तथा फसल काश्त की जा रही है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 872 रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम मनैमा तहसील हिण्डौन में होकर रास्ता चाहने बाबत् खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)